संख्या-620/2021/4217/41-2021/40 (बजट)/2018

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 17 नवम्बर 2021**

विषयः- पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में स्पिरीचुअल सर्किट के अन्तर्गत् जनपद गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर में साउण्ड एण्ड लाइट शो की अनुमोदित परियोजना में राज्य सेक्टर से निर्गत की गई संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के अनुक्रम में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5792/एस0डी0/एससी0/141 दिनांक 24-01-2020 , पत्र सं0-1606/एस0डी0/एससी0-1 /2 (2)/25 दिनांक 06-08-2020, पत्र सं0-299/एस0डी0/एच0सी0/एससी0/1 /2 (2)/25 दिनांक 24-05-2021, पत्र सं0-1844/एस0डी0//एससी0/1 /2 (2)/25 दिनांक 10-08-2021 एवं पत्र सं0-2094/एस0डी0//एससी0/1 /2 (2)/25 दिनांक 19-08-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में स्पिरीचुअल सर्किट के अन्तर्गत् जनपद गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर में साउण्ड एण्ड लाइट शो की अनुमोदित परियोजना में राज्य सरकार द्वारा कतिपय अन्य कार्यों को कराये जाने के फलस्वरूप इन कार्यों को कराये जाने हेतु चयनित कार्यदायी संस्था टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेन्ट इण्डिया लि0(टी0सी0आई0एल0) भारत सरकार का उपक्रम द्वारा तैयार किये गये संशोधित आगणन रू0-628.89 लाख में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना की धनराशि रू0-420.00 लाख को समायोजित करते हुये संशोधित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रू0-208.89 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-180/2018/3551/41-2018-40 (बजट)/2018 दिनांक 24-10-2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में मद सं0-39-जनपद गोरखपुर में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास में प्राविधानित बजटीय व्यवस्था से जारी की गई थी।

3- उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेशक पर्यटन के पत्र दिनांक 24-01-2020 में यह उल्लेख किया गया कि शासनादेश सं0-180/2018/ 3551/41-2018-40 (बजट)/2018 दिनांक 24-10-2018 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0-400.00 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0-420.00 लाख अंकित हो गई जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि रू0-228.89 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0-208.89 लाख अंकित हो गई है। अतः प्रायोजना हेतु संशोधित आदेश जारी करने का अनुरोध करते हुये प्रायोजनान्तर्गत जी0एस0टी0 का भी प्राविधान कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया । तदनन्तर महानिदेशक पर्यटन के पत्र दि0-19-08-21 द्वारा इस संबंध में विस्तृत आख्या उपलब्ध कराते हुये परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रू0-400.00 लाख के आलोक में राज्य सरकार से प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 मद में रू0-24.06 लाख की देयता एवं अवशेष धनराशि रू0-20.00 लाख का उल्लेख करते हुये पुनरीक्षित/संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने एवं अवशेष धनराशि कुल रू0-44.06 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश सं0-598/2021/आई-112210/41-1002/279/2019 दिनांक 08 नवम्बर 2021 द्वारा जारी की गई पुनरीक्षित प्रशासकीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृति रू0-228.89 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमन्य) के अधीन रू0-20.00 लाख (प्रायोजना के कार्यों की अवशेष धनराशि) + रू0-24.06 लाख(जी0एस0टी0 मद में) अर्थात् कुल रू0-44.06 लाख की वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) का महानिदेशक पर्यटन द्वारा विद्यमान नियमों के अधीन भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा और भुगतान करने से पूर्व प्रायोजना के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई धनराशियों (जी0एस0टी0 मद सहित) की पुष्टि कर ली जायेगी । उक्त के अतिरिक्त भुगतान से पूर्व निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत परियोजना के संदर्भ में **शासनादेश सं0-180/2018/3551/41-2018-40 (बजट)/2018 दिनांक 24-10-2018** में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण/प्रस्ताव के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय का होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2021 के प्रस्तर-2(9) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-4 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-39-जनपद गोरखपुर में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास -24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या-620/2021/4217/41-2021/40 (बजट)/2018 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- सचिव पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
4- मण्डलायुक्त गोरखपुर /जिलाधिकारी गोरखपुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संबंधित उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- अधिशासी निदेशक, (सिविल) टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेन्ट इण्डिया लि0(टी0सी0आई0एल0) नई दिल्ली।
9- मुख्य परियोजना प्रबंधक टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेन्ट इण्डिया लि0(टी0सी0आई0एल0) नई दिल्ली।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर ।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in